राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

60वीं बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2017 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या – 1 : 59वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि	
एजेण्डा संख्या – 2 : शासन संबंधी कार्य सूची	क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना
	ख) वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाईलिंग
	ग) ₹ 5.00 लाख तक के बैंक कृषि ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क पर छूट
	घ) आरसेटी
एजेण्डा संख्या – 3 : ग्राम्य विकास योजनाएं	क) *फसल बीमा योजना*
	ख) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना
एजेण्डा संख्या – 4 : समाज कल्याण योजनाएं	क - i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) क – ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक ऋण आधारित अनुदान योजना (C.L.S.S.)
	ख) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान
एजेण्डा संख्या – 5 : अवस्थापना विकास योजनाएं	क) एम.एस.एम.ई. ऋण
	ख) एन.पी.ए.
	ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (MUDRA)
	घ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)
	ङ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
	च) स्टैण्ड अप इण्डिया
एजेण्डा संख्या – 6 : वित्तीय समावेशन	क) ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी – वी.-सैट
	ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना
	ग) बैंक बचत खातों में आधार सीडिंग
	घ) सामाजिक बीमा योजनाएं
	ङ) वित्तीय साक्षरता
एजेण्डा संख्या 7 : बैंकिंग प्रगति विवरण	क) ऋण आवेदन पत्र निस्तारण
	ख) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17
	ग) ऋण-जमा अनुपात
एजेण्डा संख्या 8 :	कैश-लेस ट्रान्जेक्शन
एजेण्डा संख्या – 9 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
60वीं बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2017 की कार्य सूची

एजेण्डा संख्या - 1 : 59वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि

एस.एल.बी.सी. की **59वीं** बैठक दिनांक **05 दिसम्बर, 2016** के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित **चार उप-समितियों** की बैठक में सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक 25 जनवरी, 2017
2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक 30 जनवरी, 2017
3. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक दिनांक 01 फरवरी, 2017
4. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक दिनांक 08 फरवरी, 2017

एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची

क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :
(Online Creation of Charge on Land Records by Bank)

उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से कृषि ऋणों के विरुद्ध भूमि प्रलेखों पर बैंकों द्वारा ऑन-लाइन प्रभार दर्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए हम शासन का आभार प्रकट करते हैं।

ख) वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाईलिंग : " SLBC - 39 "

दिनांक 30 जनवरी, 2017 को संपन्न हुई ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले वसूली प्रमाण पत्रों को **राजस्व विभाग** के **वेबपोर्टल** पर **'ऑन-लाइन फाईलिंग''** करने की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा समस्त बैंक संबंधित तहसील से दिनांक **28 फरवरी, 2017** तक वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान कराकर इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को बैंकों को वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। माह दिसम्बर, 2016 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत् है :

(₹ लाखों में)

लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति				**कुल लम्बित आर.सी.**	
एक वर्ष से कम		**एक वर्ष से अधिक**			
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
8330	**7332.97**	**15182**	**18663.93**	**23512**	**25996.90**

ग) ₹ 5.00 लाख तक के बैंक कृषि ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क पर छूट :

राज्य में कृषि क्षेत्र के **₹ 5.00 लाख** तक के बैंक ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क पर छूट प्रदान करने से संबंधित शासकीय अधिसूचना की अवधि **दिनांक 31 मार्च, 2017** को समाप्त हो रही है। **दिनांक 30 जनवरी, 2017 को संपन्न हुई ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक** में शासन से आगामी पाँच वर्षों के लिए **₹ 5.00 लाख** तक के कृषि ऋण पर स्टॉम्प शुल्क प्रभार न लिए जाने की अधिसूचना जारी करने हेतु आग्रह किया गया था, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि इस विषयक यथाशीघ्र निर्णय लेकर वांछित अधिसूचना जारी की जाए। इस संबंध में शासन स्तर से अधिसूचना अभी प्रतीक्षित है।

घ) आरसेटी :

सितम्बर, 2016 त्रैमास की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों द्वारा पिछले वर्षों में **2654** बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय किए गए कुल खर्च **₹ 40.43 लाख** में से **₹ 23.50 लाख** की प्रतिपूर्ति दिसम्बर, 2016 त्रैमास में कर दी गयी थी, जिसके लिए हम शासन का धन्यवाद करते हैं। शासन से आग्रह है कि पूर्व की बकाया राशि **₹ 16.93 लाख** के साथ दिसम्बर, 2016 त्रैमास में बी.पी.एल. अभ्यार्थियों के प्रशिक्षण पर आरसेटी संस्थानों द्वारा व्यय **₹ 8.04 लाख** को मिलाकर वर्तमान में कुल **1840** बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय **₹ 24.97 लाख** की धनराशि की भी प्रतिपूर्ति करवाने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सुचारु रूप से संभव हो सके।

एजेण्डा संख्या – 3 : ग्राम्य विकास योजनाएं

क) फसल बीमा योजना :

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 06 फरवरी, 2017 तक प्राप्त सूचना के अनुरूप **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2016** तथा **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2016-17** के अंतर्गत क्रमश: **70,240 तथा 7,297** किसानों की फसल बीमित की जा चुकी है, जिसमें और वृद्धि होने की संभावना है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. से आग्रह है कि सदन को अद्यतन प्रगति से अवगत कराएं। सभी बैंक योजनांतर्गत बीमित कृषकों का डाटा ऑन-लाईन **क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल** (**agri-insurance.gov.in**) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

ख) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना :

भारत सरकार के 2016 के आम बजट में घोषणा की गयी थी कि वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय को दोगुना करना होगा। इस विषय पर नाबार्ड द्वारा समस्त **"हितधारकों"** (**Stakeholders**) के मध्य दिनांक 06 जनवरी, 2017 को चर्चा की गयी थी। नाबार्ड से अनुरोध है कि संदर्भित बैठक के निष्कर्षों से सदन को अवगत कराएं। इसी क्रम में ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30 जनवरी, 2017 में नाबार्ड द्वारा शासन से अनुरोध किया गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन स्तर पर एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया जाए जो वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना तैयार करे।

एजेण्डा संख्या - 4 : समाज कल्याण योजनाएं

क – i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) : " SLBC - 16 एवं 17 "

एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2016 तक समस्त बैंकों द्वारा की गयी प्रगति निम्नवत् है :

वार्षिक भौतिक लक्ष्य (वर्ष 2016-17)	प्रेषित आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	वितरित आवेदन पत्रों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
1280	1817	691	541	439	687

योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों की स्थिति गम्भीरता का विषय है। दिनांक 25 जनवरी, 2017 को आयोजित समाज कल्याण बैंकर्स स्थाई समिति की बैठक में सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे **लम्बित 687** आवेदन पत्रों का निस्तारण माह फरवरी, 2017 के अंत तक करना सुनिश्चित करें।

क – ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक ऋण आधारित अनुदान योजना :
(Credit Link Subsidy Scheme) :

प्रधानमंत्री आवास योजना घटक ऋण आधारित अनुदान योजना के क्रियान्वयन हेतु नेशनल हाऊसिंग बैंक तथा हुडको को नोडल एजेन्सी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत सबके लिए आवास (शहरी) हेतु बैंक ऋणों पर क्रमश: 4% एवं 3% का **"ब्याज अनुदान"** का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य 2450 का जिलेवार आवंटन कर दिया गया है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त करें। हुडको से आग्रह है कि इस संबंध में हुई प्रगति से सदन को अवगत कराएं।

ख) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान :

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत **माह दिसम्बर, 2016** तक समस्त बैंकों की प्रगति निम्नवत् है :

i) अनुसूचित जाति :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1459	1149	959	925	306.62	26	164

ii) <u>अनुसूचित जन-जाति</u> :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
100	95	75	75	15.95	01	19

iii) <u>अल्पसंख्यक समुदाय</u> :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
225	134	36	21	37.20	02	96

राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष से अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना को पूर्ण रुप से बैंक योग्य (**Bankable**) कर दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत **₹** 10 लाख तक की लागत के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाएंगे और निगम द्वारा 25 प्रतिशत या अधिकतम **₹ 2.5 लाख** की शासकीय अनुदान राशि देय होगी।

इस योजना के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एवं बौद्ध समुदाय, जिनकी **वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 81,000/-** एवं **शहरी क्षेत्र में ₹ 1,03,000/- से कम** हो, को बैंक ऋण दिया जा सकता है।

एजेण्डा संख्या – 5 : <u>अवस्थापना विकास योजनाएं</u> :

क) <u>एम.एस.एम.ई. ऋण</u> : " SLBC - 27 "

सभी बैंकों द्वारा राज्य में एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2016 तक **2,75,226** इकाईयों को कुल **₹ 14,043 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं। समस्त बैंक इस क्षेत्र में अधिक से अधिक इकाईयों को ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें।

ख) <u>एन.पी.ए.</u> : " SLBC - 30 C "

एम.एस.ई. (MSE) के अंतर्गत बैंकों के **22,992** ऋण खातों में **₹ 962** करोड़ के एन.पी.ए. हैं। एम.एस.ई. इकाइयों के बैंक ऋण में एन.पी.ए. कम करने हेतु प्रमुख बैंक उचित रणनीति / सुझावों से शासन को अवगत कराएं, जिससे कि शासन द्वारा इस विषय पर समुचित उपाय किए जा सकें।

ग) <u>प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना</u> : " SLBC - 28 "

सभी बैकों द्वारा **"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"** के अंतर्गत अपने निर्धारित वित्तीय वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष **31 दिसम्बर, 2016** तक निम्नवत् ऋण वितरित किए गए हैं :

(₹ लाखों में)

योजना	ऋण राशि सीमा	निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋणों की संख्या	वितरित ऋण राशि
शिशु	**₹** 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	33743.00	32274	7852.40
किशोर	**₹** 50,001 से **₹** 5 लाख	80414.00	13345	27443.07
तरूण	**₹** 5 लाख से **₹** 10 लाख	63430.00	2506	17332.97
	कुल संख्या एवं ऋण राशि	**177587.00**	**48125**	**52628.44**

समस्त बैंक संबंधित विभागों जैसे उद्योग विभाग, आई.टी.आई. इत्यादि से समन्वय स्थापित कर योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर उन्हें आबंटित लक्ष्यों की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।

घ) <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम</u> : " SLBC - 7 "

सभी बैंकों द्वारा उपरोक्त योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष **31 दिसम्बर, 2016** तक निम्नवत् ऋण वितरित किए गए हैं ;

(₹ लाखों में)

लक्ष्य	आवेदन प्राप्त	आवेदन स्वीकृत	आवेदन वितरित	वितरित ऋण राशि	आवेदन निरस्त	आवेदन लम्बित
DIC – 469	635	361	311	978.48	199	75
KVIC – 352	480	311	242	816.91	145	24
KVIB – 352	218	117	84	241.80	93	08
Total - 1173	**1333**	**789**	**637**	**2037.19**	**437**	**107**

योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों की स्थिति गम्भीरता का विषय है। सभी बैंक लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही स्वीकृत / वितरित / निरस्त आवेदन पत्रों का विवरण पी.एम.ई.जी.पी. के वेबपोर्टल (**www.kviconline.gov.in**) पर **दिनांक 31 मार्च, 2017** तक अनिवार्य रुप से अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे कि योजनांतर्गत लाभार्थियों को देय अनुदान राशि संबंधित शाखा को प्राप्त हो सके।

ङ) <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> : " SLBC - 9 "

सभी बैंकों द्वारा उपरोक्त योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष **31 दिसम्बर, 2016** तक दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

(₹ लाखों में)

लक्ष्य	आवेदन प्राप्त	आवेदन स्वीकृत	आवेदन वितरित	वितरित ऋण राशि	आवेदन निरस्त	आवेदन लम्बित
वाहन - 249	208	131	94	634.99	18	59
गैर-वाहन – 251	234	130	118	1519.04	20	84
कुल योग - 500	**442**	**261**	**212**	**2154.03**	**38**	**143**

सभी बैंक लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण माह फरवरी, 2017 के अंत तक करना सुनिश्चित करें।

पर्यटन विभाग द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्रों का ऑन-लाइन प्रेषण एवं मॉनिटरिंग करने हेतु एन.आई.सी. के सहयोग से सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

च) <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> : " SLBC - 44 "

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा (जिला सहकारी बैंक के अतिरिक्त) को कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा एक जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम ₹ 10 लाख से अधिकतम ₹ 100 लाख** तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

योजनांतर्गत 31 दिसम्बर, 2016 तक की प्रगति निम्नवत् हैं :

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	वर्ग	स्वीकृत ऋणों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
1	महिला	231	4554.18
2	अनुसूचित जाति	43	890.43
3	अनुसूचित जनजाति	18	641.11
	योग	**292**	**6085.72**

सभी बैंक विशेष रणनीति तैयार कर कैम्प मोड में अधिक से अधिक संख्या में ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि योजनांतर्गत प्रति शाखा दो ऋणों के लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके।

एजेण्डा संख्या – 6 : वित्तीय समावेशन

क) ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी – वी.-सैट :

कनेक्टिविटी रहित **1181 एस.एस.ए.** में संबंधित बैंकों ने **267 एस.एस.ए** में वैकल्पिक माध्यमों से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना आरम्भ कर दिया है। संबंधित बैंक पुन: यह सुनिश्चित कर लें कि उन सभी एस.एस.ए. में सुचारु रूप से सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शेष **914 एस.एस.ए.** में से बैंकों द्वारा अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार **204** स्थानों पर वी.-सैट स्थापित कर दिए गए हैं। संबंधित बैंक शेष **710 एस.एस.ए.** में वी.-सैट स्थापित करने की प्रक्रिया को 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना :

इस योजना के अंतर्गत अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

	मद	सितम्बर, 2016	दिसम्बर, 2016
क)	पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों से आच्छादित परिवारों की संख्या	20,56,975	20,56,975
ख)	रु-पे डेबिट कार्ड जारी किए गए खातों की संख्या	20,86,654	22,33,755
ग)	पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए खातों में आधार सीडिंग की संख्या	9,87,717	9,90,869
घ)	समस्त बैंक खातों में कुल आधार सीडिंग की संख्या	36,02,450	41,05,431
ङ)	अवितरित रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	3,77,756	1,30,988
च)	अवितरित रु-पे पिन कार्ड की संख्या	5,84,507	1,92,922

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप समस्त बैंक अपने सभी **प्रधानमंत्री जन-धन खातों** में उनके आधार संख्या तथा मोबाइल संख्या दर्ज करवाने का कार्य एवं अवितरित रु-पे कार्ड एवं पिन का वितरण कर समस्त जारी रु-पे कार्ड एक्टिवेशन का कार्य दिनांक **31 मार्च, 2017** तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

ग) बैंक बचत खातों में आधार सीडिंग :

समस्त बैंक इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अपने ग्राहकों के बचत खातों में शत प्रतिशत **"आधार सीडिंग"** करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक **05 फरवरी, 2017 से 20 फरवरी, 2017** तक नरेगा खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग करने हेतु **"आधार पखवाड़ा"** मनाया जा रहा है। बैंकों को प्रेषित आधार सहमति फार्म **(Aadhaar Consent Form)** की सूचना जिलेवार / बैंकवार / शाखावार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी ई.-मेल द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, जिसे संबंधित बैंक नियंत्रकों को उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया था। सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि सॉफ्ट कॉपी में अंकित सभी खाताधारकों के **"आधार संख्या"** उनके बचत खातों में दर्ज करने का कार्य निर्धारित तिथि तक संपन्न कर लिया जाए।

घ) सामाजिक बीमा योजनाएं :

इस योजना के अंतर्गत अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

	योजना	सितम्बर, 2016	दिसम्बर, 2016
क)	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	13,36,366	13,53,797
ख)	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	3,70,647	3,91,277
ग)	अटल पेंशन योजना	21,715	26,004

सभी बैंक पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत करवाएं।

ङ) वित्तीय साक्षरता :

राज्य में कुल **18** एफ.एल.सी. कार्यरत हैं। सभी एफ.एल.सी. अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक से संख्या में वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण शाखाएं प्रत्येक माह अपने सेवाक्षेत्र/कार्यक्षेत्र में कम से कम एक वित्तीय साक्षरता शिविर अनिवार्य रूप से लगाएं, ताकि वित्तीय सुविधाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने हेतु जागरुक किया जा सके।

01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक आयोजित कैम्प की संख्या :

	जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	एस.एच.जी. हेतु कैम्प की संख्या	कुल कैम्प की संख्या
दिसम्बर, 2016 त्रैमास में	544	319	863
01.04.2016 से 31.12.2016 तक	1374	1192	2566

सभी बैंक एफ.एल.सी. कैम्पों से संबंधित त्रैमासिक सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 7 : <u>बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण</u>

क) <u>ऋण आवेदन पत्र निस्तारण</u> :

सभी बैंक नियंत्रक यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत लम्बित / नए प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण **माह फरवरी, 2017** में अनिवार्य रूप से कर दिया जाए तथा सभी प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों को **" ऋण आवेदन पत्र प्राप्त एवं निस्तारण रजिस्टर "** में दर्ज कर उनका निस्तारण किया जाए।

ख) <u>वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17</u> : " SLBC - 03 "

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य **₹ 16,385 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2016 तक **₹ 8922 करोड़** की उपलब्धि विभिन्न सेक्टरों में दर्ज की गयी है।

(₹ करोड़ों में)

गतिविधि	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
कृषि ऋण	5753	2449	43%
सावधि ऋण	2810	828	29%
फार्म सेक्टर (कुल)	**8563**	**3277**	**38%**
नॉन-फार्म सेक्टर	4451	3421	77%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3371	2224	66%
कुल योग	**16385**	**8922**	**54%**

वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का निर्धारित मानक **65%** है, जिसके सापेक्ष बैंकों ने **54%** की उपलब्धि दर्ज की है, जोकि संतोषजनक नहीं है। समस्त बैंक वर्तमान त्रैमास की समाप्ति तक उन्हें आवंटित वार्षिक लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

ग) <u>ऋण-जमा अनुपात</u> : " SLBC - 01 "

माह दिसम्बर, 2016 की समाप्ति पर राज्य का **ऋण-जमा अनुपात 52 %** है, जोकि सितम्बर, 2016 के स्तर 57% से कम है। इसका प्रमुख कारण विमुद्रीकरण के दौरान बैंकों की जमा राशि में अत्यधिक वृद्धि एवं ऋणों में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं होना है।

निम्न **बैंकों** का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है। संबंधित बैंक इसे बढ़ाने हेतु अपने बैंक की रणनीति से सदन को अवगत कराएं।

बैंक	शाखाओं की संख्या	दिसम्बर, 2016
यूको बैंक	55	37%
सिंडीकेट बैंक	47	35%
सेन्ट्रल बैंक	41	25%
बैंक ऑफ इण्डिया	35	35%
इण्डियन बैंक	12	21%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	05	34%

निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात **30 प्रतिशत** से कम है।

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	दिसम्बर, 2016
पौड़ी	196	22%
अल्मोड़ा	146	20%
पिथौरागढ़	103	29%
चमोली	92	27%
रुद्रप्रयाग	54	21%
चम्पावत	54	27%
बागेश्वर	50	27%

उपरोक्त जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक विभिन्न विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से कार्ययोजना तैयार कर पहाड़ी जिलों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक 40 प्रतिशत की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास करें।

एजेण्डा संख्या – 8 : <u>कैशलेस ट्रान्जेक्शन</u>

नीति आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार, जनसाधारण के बीच कैश-लेस बैंकिंग / ट्रान्जेक्शन को बढ़ावा / अपनाने हेतु राज्य सरकार एवं बैंकों के सहयोग से देहरादून में दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 एवं हल्द्वानी में दिनांक 05 जनवरी, 2017 को "डिजी-धन" मेला का आयोजन कर उन्हें इसके वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। साथ ही ग्राहकों एवं व्यापारियों के लिए "लक्की ड्रॉ" के अंतर्गत विभिन्न पुरस्कार भी घोषित किए गए। इसके अतिरिक्त अग्रणी जिला कार्यालय के स्तर से भी बैंकों के सहयोग से एवं राज्य सरकार के **"कॉमन सर्विस सेन्टर"** के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजीटल पेमेंट के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने हेतु जनसाधारण एवं व्यापारियों को जागरुक एवं प्रेरित किया जाए।

इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि कैशलेस बैंकिंग का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए जनसाधारण एवं व्यापारिक वर्ग के मध्य प्रचलन में लाने हेतु विक्रेताओं के मध्य अधिक से अधिक संख्या में "प्वाइंट ऑफ सेल मशीन" (**Point of Sale Machine**) / ई.-वॉलेट (**e-wallet**) उपलब्ध कराएं जिससे कि ग्राहकगण अपने "ए.टी.एम.-सह-डेबिट कार्ड / स्मॉर्ट फोन / मोबाइल फोन " का प्रयोग कर अपनी दैनिक जरुरतों को पूरा कर सकें।

एजेण्डा संख्या - 9 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा।

****